न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 144 / 2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

1. राजविन्द्र सिंह पुत्र श्री राजपाल जाति कुम्हार निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. अर्षदीप सिंह पुत्र श्री राजपाल आयु 15 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती बली माता गुरविन्द्र कौर पत्नी श्री राजपाल जाति कुम्हार निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

— वादीगण

बनाम्

1. फौजा सिंह उर्फ बलवन्त सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह जाति कुम्हार निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. राजपाल सिंह पुत्र श्री फौजा सिंह उर्फ़ बलवन्त सिंह जाति कुम्हार निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. छिन्द्रपाल कौर पुत्री श्री फौजा सिंह उर्फ बलवन्त सिंह जाति कुम्हार निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. जसवीर कौर पुत्री श्री फौजा सिंह उर्फ बलवन्त सिंह जाति कुम्हार निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

उपस्थित — 1. श्री महावीर बेरड़ एडवोकेट (वादी)
2. कुलदीप मूण्ड एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 4)

— प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः— 20.4.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का दादा, प्रतिवादी सं. 2 वादीगण का पिता, प्रतिवादीया सं. 3 व 4 वादीगण की बुआ है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वाद के सही न्याय निर्णयन हेतु आवष्यक होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की वंषावली निम्न प्रकार से वर्णित हैं प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का दादा, प्रतिवादी सं. 2 वादीगण का पिता, प्रतिवादीया सं. 3 व 4 वादीगण की बुआ है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण के दादा एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 एन.टी.डब्ल्यु. के एकल खाता सं. 62/41 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.633 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिष्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि परित्याग वादीगण के पक्ष में बंटवारा अनुसार कर दिया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पास अपने जीवनयापन के पर्याप्त संसाधन है तथा प्रतिवादीया सं. 3 व 4 की शादी अच्छा दान–दहेज देकर अच्छे परिवार में कर दी है जो राजीखुषी अपना जीवनयापन कर रही है। अब प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा षेष नही रहा है। वादीगण को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं:—

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(क) वादीगण राजविन्द्र सिंह पुत्र श्री राजपाल एवं अर्षदीप सिंह पुत्र श्री राजपाल आयु 15 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती बली माता गुरविन्द्र कौर पत्नी श्री राजपाल सिंह समस्त जाति कुम्हार निवासीगण संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाष्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :– तहसील संगरिया के चक 5 एन.टी.डब्ल्यु. के एकल खाता सं. 62/41 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.633 है. कृषि भूमि

वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 4 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण, प्रतिवादीया सं. 2 ता 4 को विरासतन अधिकारी होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 5 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा वादीगण के दादा एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 एन.टी.डब्ल्यु. के एकल खाता सं. 62/41 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.633 है. कृषि भूमि का वादीगण को ब.हि.ब. खातेदार काष्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 5 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये:–

1. चक 5 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 62/41 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की जमाबंदी
2. चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 35/35 जमाबन्दी सम्वत 2057–2060 की जमाबंदी
3. चक 5 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 47/45 जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 की जमाबंदी

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक चक 5 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 62/41 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में प्रतिवादी संख्या 1 फौजासिह पुत्र हरनेक सिह के नाम दर्ज है जो हमारी ज़द्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद पत्र का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 35/35 जमाबन्दी सम्वत 2057–2060 व चक 5 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 47/45 जमाबन्दी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सम्वत 2059–2062 की जमाबंदी प्रस्तुत की गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का दादा, प्रतिवादी सं. 2 वादीगण का पिता, प्रतिवादीया सं. 3 व 4 वादीगण की बुआ है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो प्रदर्श 2 ता 3 से पैतृक साबित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति/पैतृक अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 5 एनटीडब्ल्यु के खाता संख्या 62/41 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 20/4/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया